संख्या-63/2023/688/छप्पन-2023-48/03 टी.सी.-5

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 23 मई, 2023

विषय: जनपद इटावा स्थित सैफई हवाई पट्टी के परिसर में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों को कराए जाने के लिए आवश्यक धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31/ना0उ0नि0/ए.एफ.-104/2023 दिनांक 03 मई, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सैफई हवाई पट्टी के परिसर में विभिन्न निर्माण/मरम्मत कार्यों को कराए जाने के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के अतिरिक्त महाप्रबन्धक (आगरा अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, आगरा द्वारा प्रेषित रूपये 231.03 लाख की धनराशि से सम्बन्धित उपलब्ध कराए गए आगणन को परीक्षण/मूल्यांकन हेतु शासन को संदर्भित करते हुए पत्र संख्या-42/1 ना0उ0नि0/ए.एफ.-104/2023 दिनांक 19 मई, 2023 के द्वारा प्रश्नगत निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रूपये 217.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि के व्यय की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, इटावा के निवर्तन पर जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद इटावा स्थित सैफई हवाई पट्टी परिसर में विभिन्न मरम्मत कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित 03 प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणनों में प्रस्तावित लागत के परीक्षणोंपरान्त उसके सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत का विवरण निम्नवत है:-

(लागत लाख रू0 में)

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	प्रस्तावित लागत	**प्रभाग द्वारा आंकलित लागत**
1	अतिथिगृह (गेस्ट हाउस) की मरम्मत का कार्य	46.84	36.62
2	बाउण्ड्रीवाल की फेसिंग, बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पुताई का कार्य	99.35	97.44
3	रनवे पर थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा मार्किंग का कार्य	84.84	83.21
	कुल योग	**231.03**	**217.27**

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैफई हवाई पट्टी के परिसर में उक्त तालिका में उल्लिखित 03 प्रायोजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न मरम्मत कार्यों को कराए जाने के लिए आंकलित लागत रूपये 217.27 लाख (रूपये दो करोड़ सत्रह लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में धनराशि के व्यय की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, इटावा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन एवं जिलाधिकारी, इटावा की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च , 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण/मरम्मत कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(10) प्रायोजनान्तर्गत वाटर कूलर (रू0 0.60 लाख), सोफा कवर (रू0 1.50 लाख), सोफा सेट-3+1 गोदरेज- 2नग (रू0 1.50 लाख), रेफीजरेटर डबल डोर (रू0 0.28 लाख), डिनर सेट (रू0 0.04 लाख), करटेन (रू0 2.80 लाख) व गैस स्टोव (रू0 0.04 लाख) हेतु प्रस्तावित धनराशि अनुमन्य नहीं की गई है। इसकी आवश्यकता, औचित्य, स्पेसीफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, इटावा/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण/मरम्मत के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी, इटावा/ निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(13) प्रायोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नए कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।

(14) उक्त समस्त कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने की स्थिति से अवगत कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, नागरिक उड्डयन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीलेखा-लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-ई-7-14/दस-2023-24, दिनांक 23 मई, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

4/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-63/2023/688(1)/छप्पन-2023-48/03 टी.सी.-5 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी, इटावा।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ इटावा ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।